न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 65 / 18 **निर्णय दिनांकः– 07.01.2019**

1. मघाराम
2. ओमप्रकाश
3. भंवरलाल
4. धन्नीदेवी
5. सावित्री

पुत्र / पुत्री मातीराम जाति जाट निवासी दुसारणा तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. राजेन्द्र पुत्र श्री पूर्णराम जाति ब्राहमण निवासी चक 6 केपीएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 06–10–2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितः–
1. श्री उमाशंकर व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियाँ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 06–10–2016 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स को तहसील छत्तरगढ़ के चक 2 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 66/55 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि व मुरब्बा नम्बर 87/2 के किला नम्बर 1 ता 15 की 15 बीघा इस प्रकार कुल 40 बीघा भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन श्रेणी में आंवटन सलाहकार समिति की राय से किया गया था। अदालत मातहत द्वारा उक्त आवंटन से पूर्व संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि वादगत् भूमि ना तो गजट में नोटिफाईड भूमि है ना ही मिडियम व स्माल पेच आवंटन श्रेणी की भूमि है तथा उक्त भूमि मात्र सामान्य श्रेणी की भूमि है। इस आधार पर अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट्स को बतौर भूमिहीन श्रेणी में किया गया था तथा उक्त भूमि पर आज दिनांक तक अपीलांट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की तमाम किश्तें भी जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत व राजस्व कर्मचारियों को तत्समय ही अपीलांट को आवंटित वादगत् भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जाना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को निरस्त किये बिना ही उक्त आराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट को बतौर विशेष आवंटन में दिनांक 06—10—2016 को कर दिया गया। ऐसा आवंटन आवंटन नियमों व कानून के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट के आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज भूमि नहीं थी वरन् अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी ऐसी स्थिति में आक्यूपाईड लैण्ड का आवंटन रेस्पोडेन्ट को नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना

किसी प्रकार की जॉच किये वादगत् भूमि का आंवटन विशेष श्रेणी में रेस्पोडेन्ट को कर दिया गया।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि को गजट में प्रकाशित होना बताया गया है जबकि वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित भूमि नहीं है। ऐसी स्थिति में सामान्य आवंटन की भूमि का विशेष आवंटन में आवंटन नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कानून को नजरअंदाज करते हुए मात्र वादगत् भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने के मद्देनजर तमाम कार्यवाही आनन–फानन में की गई है। जिसका अदालत मातहत को कतई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में अंकित किया गया है कि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक खाजुवाला में आयोजित की गई थी। जबकि वादगत् भूमि का आवंटन तहसील छत्तरगढ़ में किया गया है। उक्त बैठक कब और किसके निर्देशों में आयोजित की गई इसका भी कहीं आदेश में हवाला नहीं दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र औपचारिकतापूर्ण तरीके से तमाम कार्यवाही करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को बतौर भूमिहीन आवंटित भूमि है जिसका आवंटन किसी भी स्थिति में बतौर विशेष श्रेणी नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाते हुए अपीलांट का आवंटन बहाल रखा जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्ष 2007 में चक 4 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 107/53 में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त भूमि अन्य प्रार्थियों/आवेदकों के मुकाबलें प्रार्थी की प्राथमिकता निचलें

क्रम में होने पर नियम 13 (ए) (5) परन्तुक के अन्तर्गत अन्य रकबा चक 2 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 87/2 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् गजट के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया कि वादगत् रकबा वर्ष 1999 से गजट में विज्ञाप्ति है। इसी प्रकार वादगत् भूमि के बाबत् अन्य किसी आवेदक का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं होने पर उक्त भूमि का आवंटन बतौर विशेष आवंटन के तौर पर किया गया है।। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन करते हुए तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहॉ तक अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि उसे पूर्व में आवंटित थी ऐसी स्थिति में उक्त भूमि आक्यूपाईड लैण्ड की श्रेणी की है। इस संबंध में राजस्व अभिलेख में वादगत् भूमि शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज है तथा मौके पर खाली पड़ी है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज व आक्यूपाईडलैण्ड नहीं थी।

इस प्रकार रेस्पोडेन्ट का आवंटन पूर्णतया सही व आवंटन नियमों की पालना करते हुए अदालत मातहत द्वारा किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को बतौर भूमिहीन श्रेणी में प्राप्त नहीं हो सकती। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम अपीलांट को वादगत् भूमि चक 2 एसटीएम के मुरब्बा नम्बर 66/55 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि व मुरब्बा नम्बर 87/2 के किला नम्बर 1 ता 15 की 15 बीघा इस प्रकार कुल 40 बीघा अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की सहमति से बतौर भूमिहीन आवंटित की गई थी तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा इसी भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को

गजट में प्रकाशित होने के कारण विशेष श्रेणी में दिनांक 06—10—2016 को किया गया है।

(2) प्रकरण में अपीलांट द्वारा आवंटन किये जाने के उपरान्त वादगत् भूमि हेतु निर्धारित राशि जमा करवाई जाने के उपरान्त आवंटन पट्टा अदालत मातहत द्वारा जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन की तमाम प्रकिया पूर्ण कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में तत्समय ही किया जाना चाहिए था। जैसा की प्रकरण में नहीं किया गया है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण भूमि रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रहने के कारण वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित होने के फलस्वरूप अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है।

(3) अदालत मातहात द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान उपनिवशेन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम 1970 के नियम 13 (ए) (5) परन्तुक में उल्लेखित शर्तो एवं निबन्धन के तहत किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा भी वादगत् भूमि की तमाम राशि खजाराराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में दोनों की पक्षकारों द्वारा अपने—अपने आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

(4) प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि बतौर भूमिहीन अपीलांट को आवंटित की जा चुकी है। प्रकरण में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन के समय ही राजस्व रिकार्ड में इस आश्य का इन्द्राज किया जाना चाहिए था। प्रकरण में अदालत मातहत एवं राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(5) इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा एक ही आराजी का दो बार आवंटन कर दिया गया है व वर्तमान में वादगत् भूमि भूमिहीन श्रेणी में आरक्षित होने के कारण उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट को प्राप्त नहीं हो सकती। चूंकि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से रेस्पोडेन्ट

को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो पूर्व से ही बतौर भूमिहीन श्रेणी में अपीलांट को आंवटित भूमि रही है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उसी श्रेणी की अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः बिन्दु सिंह 6 के मद संख्या 1 से 5 में वणिर्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06—10—2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पोडेन्ट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता अनुसार समान श्रेणी की कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि अन्यत्र आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर